न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन याचिका संख्या : 282/2018
RCMS Case No. 2018/00394

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रामपाल पुत्र अमराराम जाति कुमावत निवासी निमाज तहसील जैतारण हाज ग्राम पड़ासला खुर्द तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. मदनलाल पुत्र लखाराम 2. चंदाराम पुत्र हापुजी जातिगण कुमावत निवासीगण निमाज तहसील जैतारण 3. सरपंच ग्राम पंचायत निमाज तहसील जैतारण जिला पाली

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–
श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 03/7/2019

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 103/2012 बअनवान रामपाल बनाम मदनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2016 को पुनर्विलोकन कराने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी प्रार्थी की पट्टासुदा आराजी है, जिसका पट्टा संख्या 22 दिनांक 19.12.1964 को जारी किया गया हैं। प्रार्थी के मकान के पडौस में बींजाराम का मकान है, जो प्रार्थी के पिता अमराराम ने बींजाराम से क्रय किया था। उक्त दोनों पट्टों की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए पट्टे जारी करवाए। उक्त पट्टों को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की, जो न्यायालय हाजा द्वारा पंचायत के रेकर्ड के अभाव में खारिज़ कर दी। इस सम्बन्ध में जिला सतर्कता समिति में भी परिवाद दर्ज हुआ, जिसमें भी अप्रार्थीगण के नाम जारी पट्टों को कूटरचित माना हैं। इसके अतिरिक्त भी एक बार पट्टा जारी करने के पश्चात पंचायत उसी भूमि का दुबारा पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं रखती थी, इसके बावजूद भी पंचायत द्वारा प्रार्थी की पट्टासुदा एवं खरीदसुदा भूमि का पट्टा अप्रार्थीगण के नाम जारी किया गया, जो विधि विरूद्ध हैं। न्यायालय हाजा द्वारा पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण निगरानी याचिका खारिज़ की, जबकि पंचायत का

अति० जिला कलक्टर, पाली

रेकर्ड सिविल न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर प्रार्थी द्वारा पंचायत के रेकर्ड की प्रतियां प्राप्त की तथा क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में परिवर्तन होने के कारण प्रार्थी के पिता द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर पाली के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की, उसमें भी रेकर्ड का अवलोकन किए बिना ही, पूर्व में समकक्ष न्यायालय द्वारा सुनवाई होने के कारण सुनवाई से बाधित मानते हुए प्रार्थी के पिता द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को खारिज़ कर दिया। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को खरीद करना बताया, जबकि खरीद का कोई दस्तावेज मौजूद नहीं हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस अनुसंधान में अप्रार्थीगण को दोषी मानते हुए सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान/चार्जशीट पेश की गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से जमानत करवाई है। प्रकरण में विवादित आराजी एवं पट्टे के सम्बन्ध में जिस स्तर पर भी जांच हुई, उसमें विवादित पट्टे को फर्जी एवं कूटरचित माना हैं। पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया था, इस कारण प्रार्थी द्वारा भी रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सिविल न्यायालय के समक्ष उक्त रेकर्ड परीक्षित होने पर रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई है, जिसके आधार पर प्रकरण में पंचायत की आज्ञा एवं उस आज्ञा की पालना में जारी पट्टे का परीक्षण किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें तथा न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 103/2012 बअनवान रामपाल बनाम मदनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2016 को पुनर्विलोकित करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका मियाद बाहर होने से प्राथमिक स्तर पर ही खारिज़ योग्य हैं। पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत करने हेतु पंचायती राज अधिनियम 1994 में 90 दिवस की अवधि प्रावधित है, किन्तु प्रार्थी द्वारा परिसीमित अवधि गुजरने के पश्चात यह याचिका प्रस्तुत की है तथा देरी का कोई सन्तोषप्रद कारण दर्शित नहीं किया है, इस कारण पुनर्विलोकन याचिका मियाद बाहर होने से खारिज़ की जावे। जिन दस्तावेजों को प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन का आधार बनाते है, वे दस्तावेज स्वयं प्रार्थी द्वारा ही सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए है, जो आरम्भ से ही इनकी जानकारी में थे। इनके द्वारा इन दस्तावेजात् को जानबूझकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय हाजा द्वारा निगरानी खारिज़ होने के पश्चात प्रार्थी ने अपने पिता के नाम से न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की, जो खारिज़ की गई। इसके पश्चात इन्होने न्यायालय जिला कलक्टर पाली के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका भी प्रस्तुत की, जो भी खारिज़ हुई। प्रार्थी एक ही बिन्दु को समकक्ष न्यायालय के समक्ष बार–बार उठा रहे है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा इसी भूमि को लेकर सिविल न्यायालय के समक्ष भी वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। उक्त वाद में प्रार्थी द्वारा पट्टे को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है, जिसके आधार पर सिविल न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 3 कायम की गई हैं। इस कारण भी पुनर्विलोकन तथा निगरानी याचिका न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की थी, जो खारिज़ हो चुकी हैं। अब दुबारा उसी बिन्दु पर न्यायालय नहीं सुन सकता हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन

जिला कलक्टर, पाली

याचिका खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में ए.आई.आर. 1995 (एस.सी) पेज 455 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि पूर्व में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर पाली के समक्ष जो निगरानी याचिका तथा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, उसे तकनीकि कारणों से खारिज़ किया गया हैं। निगरानी में जिन तथ्यों एवं दस्तावेजात् का परीक्षण किया जाना था, वे दस्तावेज एवं तथ्य परीक्षित ही नहीं हैं। उन दस्तावेजात् के उपलब्धता के अभाव में निगरानी याचिका खारिज़ हुई हैं। अब उन दस्तावेजात् की प्रतियां प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसके आधार पर जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश अपास्त किया जाना प्रकरण की पुनः सुनवाई कर परीक्षण किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रार्थी ने इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 103/2012 बअनवान रामपाल बनाम मदनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2016 को पुनर्विलोकन कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2018 को प्रस्तुत किया है, जो निर्णय पारित होने के 2 वर्ष 3 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात किया गया हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 (3) में यह प्रावधित किया गया है कि "राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय, उप धारा (1) के अधीन आदेश पारित किए जाने के नब्बे दिवस के भीतर भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी, यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तत्व की अज्ञानतावश पारित किया गया हो।" इस परिप्रेक्ष्य में जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आक्षेपित आदेश ग्राम पंचायत का रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने तथा नष्ट होने के कारण रेकर्ड के अभाव में परीक्षण किया जाना संभव नहीं होने के कारण निगरानी याचिका खारिज़ की गई हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि पंचायत द्वारा पारित जिस आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की विधिकता का परीक्षण की अपेक्षा की गई थी, उसका परीक्षण ही नहीं किया गया। जिस रेकर्ड के अभाव में जैर पुनर्विलोकन आदेश पारित किया गया, उक्त रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जो माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण से जारी की गई है, जिस पर संदेह का कोई कारण नहीं हैं। जैर पुनर्विलोकन आदेश में उक्त रेकर्ड परीक्षित ही नहीं हुआ, जो आवश्यक था। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त अवश्य ही सम्माननीय है, किन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होते हैं। चूंकि जैर पुनर्विलोकन आदेश में पंचायत का रेकर्ड परीक्षित ही नहीं हुआ, इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार योग्य पाई जाती है, जिससे रेकर्ड का विधिनुसार परीक्षण किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा सके।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण संख्या 103/2012 बअनवान रामपाल बनाम मदनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक

अति० जिला कलक्टर, पाली

03.05.2016 को पुनर्विलोकित किया जाकर मूल निगरानी को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित किया जाता हैं।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 03/07/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली